

चाहते हैं।
 या जाता है।
 को पेश हो।
 प्रतिवादी
 पर
 पत्रावली

वकील के वारिसों को रिकार्ड पर लेने में वकील
 प्रतिवादी को कोई आपत्ती नहीं है। अतः वकील
 वकील प्रतिवादी के वारिसों को रिकार्ड पर लेने का
 आदेश दिया जाता है। वकील वादी संशोधित दायरल
 पेश करें व तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली
 दि० १-५-५५ को पेश हो।

१-५-५५ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते संशोधित
 दायरल व तलबी पत्रावली दि० २-५-५५ को पेश हो।

२३-५-५५ पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
 उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. का
 आदेश अवरकाश पर है/का पत्रावली
 अतः पत्रावली दि० २४-५-५५
 को पेश हो।
 शिखर

२४-५-५५ पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
 उभयपक्ष उपस्थित है/श्रीमान् पीठासीन
 अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवरकाश पर हैं/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का पत्रावली
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक २४-५-५५
 को पेश हो। पत्रावली लोक अदालत के
 कमरी पर पेश हो।
 शिखर

1805-26
 2015/15

१-६-५५ पत्रावली आज लोक अदालत शिविर कमरी
 पर पेश हुई। वादी बरोसीलाल व प्रतिवादी कैलाश
 उपस्थित हैं। वादी ने राजीनामा इस आशय का पेश
 किया है कि रास्ता खर्च नं० ७५८ को नपती टीम
 बनाकर करदी जावे, रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिए
 जावे। वादी अपना दावा वापस लेता है।

राजीनामा
 कैलाश

अतः प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी
 का दावा निर्णित किया जाता है। पचा छिड़ी
 जारी किया जावे। पत्रावली फैसलामार होकर
 नम्बर से कम हो एवं वाद तदमील दाखिल
 दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगापुर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(सिविल अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प उमरी
सिविल अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है
दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 05/2014

वादीगण की ओर से वादी भरोसी पुत्र डाल्या रैगर की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कैलाश पुत्र गणेश रैगर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.6.2015 को मुनिदेव यादव (सिविल अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ख.न. 758 रास्ता ग्राम उमरी की नपती टीम बनाकर करवाने का एवं रास्ते से अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही वादी को दावा वापिस लेने का आदेश दिया जाता है।

उर्दा फसकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4रुपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

उनवान

भरोसी पुत्र डाल्या, रैगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी
बनाम

1. कैलाश पुत्र गणेश रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रहलाद पुत्र गणेश, रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
3. बच्चू पुत्र गणेश रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 3/1 फौरन्ती बेबा बच्चू रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
- 3/2 रवीना पुत्री बच्चू रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
- 3/3 स्वाती पुत्री बच्चू रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
- 3/4 आदित्य पुत्र बच्चू रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
4. तेजराम पुत्र रघुनाथ गुर्जर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
5. परसादी लाल पुत्र रघुनाथ गुर्जर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
6. यादराम पुत्र मुकरी गुर्जर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
7. छीतरया पुत्र डाल्या रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
8. राजेन्द्र पुत्र छीतरया रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
9. घनश्याम पुत्र छीतरया रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
10. हेमराज पुत्र छीतरया रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
11. रामनरी पत्नी कैलाश रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
12. फौरन्ती पत्नी बच्चू सिंह रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
13. रामपति बेबा गणेश रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
14. जगदीशी पत्नी राजेन्द्र रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
15. विमला पत्नी घनश्याम रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी
16. विमला देवी पत्नी हेमराज रैगर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी

---प्रतिवा



दावा स्थाई निषेधाज्ञा


उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी